न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– 34/2024

पारबती पत्नी स्व. रामकुमार हाल पत्नी स्व. राजूराम जाति बावरी निवासी पूनरास तहसील तारानगर जिला चूरू।

– वादीनी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

– प्रतिवादी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

निर्णय

दिनांक 31.01.2025

वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वादीनी अपनी कृषि भूमि रोही मौजा ढ़ाणी भाटियान के खसरा सं. 97 तादादी 6.9674 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का 11/45 व 1/8 हिस्सा की काबिज काश्तकार व खातेदार है। वादीनी की पूर्व में शादी रामकुमार पुत्र हिराराम के साथ हुई जिसके नुत्फे वादीनी को दो संतान पुत्रीयां पैदा हुई। वादीनी के पति रामकुमार के देहान्त के बाद रामकुमार के हिस्सा की कृषिभूमि वारिस उनकी पुत्रीयां व वादीनी होने से दोनों पुत्रियां अपना हिस्सा अपनी माता वादीनी के पक्ष में हकत्याग कर दिया। जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया तथा वादीनी की दूसरी शादी राजूराम के साथ हुई। जिसके नुत्फे वादीनी को कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजेन्द्र के देहान्त के बाद राजेन्द्र के हिस्सा की कृषिभूमि एक मात्र वारिस वादीनी होने से वादीनी के नाम 11/45 हिस्सा खोतदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस प्रकार उक्त खसराजात की कृषिभूमि मे वादी 11/45 हिस्सा व 1/18 हिस्सा की खातेदार व काश्तकार है। जिस पर वादीनी काबिज होकर अपने उपयोग में लेती आ रहीं है। जिसमें वादीनी का नाम पारबती पत्नी स्व. राजूराम के स्थान पर पारबती पत्नी स्व. राजेन्द्र दर्ज किया गया है। वादीनी का कथन है कि दस्तावेजों में वादीनी के पति के नामों में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीया को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादीनी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहती है। अतः कृषि भूमि रोही ढ़ाणी भाटियान के खसरा सं. 97 तादादी 6.9674 हेक्ट. में वादीनी का नाम पारबती पत्नी स्व. रामकुमार हाल पत्नी स्व. राजेन्द्र के स्थान पर पारबती पत्नी राजूराम को दुरूस्त किया जाता है तो सरकार के अन्य किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि वादीनी को के.सी.सी. कार्ड व अन्य योजनाओं में आवेदन करने में सहुलियत होगी। वादीनी के खातेदारी भूमि वाके रोही ढ़ाणी भाटियान तहसील तारानगर में उक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दोनों जगह की 11/45 हिस्सा व 1/18 हिस्सा को मिलाकर समाहित कर पारबती पत्नी स्व. राजूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में घोषणा करवाने हेतु उक्त घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। जो प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जांच रिपोर्ट में पारबती व पारबति दोनो एक ही महिला अंकित किया है। इस प्रकार इसकी शादी पहले रामकुमार के साथ व इसकी मृत्यु के बाद राजेन्द्र के साथ होना भी अंकित किया है। उक्त राजेन्द्र का दस्तावेजीय नाम राजूराम होना भी प्रकट हुआ है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। इस प्रकार प्रकरण को कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। अतः तनकी कायम की गई।

साक्ष्य वादी में वादिनी ने निम्न मौखिक एवं लिखित साक्ष्य पेश किये:–

1. नकल जमाबंदी प्रदर्श Ex-1

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू